फा. नं. एईआरए/20010/डीआईएआई-डीएफ/20010-11
एअरपोर्ट इकानॉमिक रैगुलाटरी एथोरिटी ऑफ इंडिया
आदेश सं. 47/2015-16

एईआरए भवन,
प्रशासनिक कम्लैक्स,
सफदरजंग एअरपोर्ट,
नई दिल्ली-110003
आदेश की तारीख -25 जनवरी 2016
जारी की तारीख -03 फरवरी 2016

एअरपोर्ट प्रचालकः दिल्ली इंटरनेश्नल एअरपोर्ट (पी) लिमिटेड
एअरपोर्टः इंदिरा गांधी इंटरनेश्नल एअरपोर्ट (आईजीआईए) नई दिल्ली

इंदिरा गांधी इंटरनेश्नल एअरपोर्ट (आईजीआईए) नई दिल्ली पर विकास शुल्क की समीक्षा और DF को बंद करने की अंतिम तारीख (कट ऑफ तारीख) का निर्धारण करने के संबंध में

1. संक्षिप्त तथ्य

1.1 केंद्र सरकार ने मैसर्स दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (DIAL) को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1 99 4 की धारा 22 ए के द्वारा तहत अपने आदेश सं. ए.वी. को देखा था 24011 / oo2 / 2008-एडी दिनांक 09.02.2009 के द्वारा विशुद्ध रूप से एक तदर्थ आधार पर, 36 महीने की अवधि तक प्रस्थान करने वाले प्रत्येक घरेलू यात्री ₹ 200 / और प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय यात्री से ₹ 1300 / - डीएफ की वसूली करके वित्तपोषण के लिए मंजूरी दी गई है। जो दिनांक 01.03. 2009 से प्रभावी है। अनुमोदन की शर्तों में से एक यह थी कि सरकार / नियामक द्वारा निम्नलिखित दो विशिष्ट परिवर्तनों के आधार पर ही कर का अंतिम निर्धारण किया जाएगा: क) DIAL डीएफ की वसूली के आरंभ होने के 6 महीनों के भीतर अर्थात 31.08.2009 तक अंतिम परियोजना लागत अनुमान प्रस्तुत करेगा । आकस्मिकताओं की राशि सहित प्रस्तुत परियोजना लागत और इनका उपयोग की लेखापरीक्षा AAI नियामक / सरकार द्वारा यथा निर्धारित नियुक्त किसी निष्पक्ष, तकनीकी लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।
ख) DIAL हास्पीटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के संबंध में बोली प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। वे

DF की वसूली आरंभ करने के 6 महीने के भीतर अर्थात् 31.08.2009 तक समीक्षा के परिणाम के साथ सरकार से संपर्क करेंगे।

1.2 इस प्राधिकरण की स्थापना के बाद DIAL ने आदेश संख्या 28 / 2011-12 में बताए अनुसार 31.08.2009 के बजाय फरवरी 2010 तक परियोजना लागत प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। पणधारों के साथ उचित विचार विमर्ष और परामर्श करने के बाद, प्राधिकरण ने

समय सीमा 31.01.2010 तक बढ़ा दी। इस बीच DIAL को एमओसीए द्वारा उनके दिनांक के 09.02.2009 के पत्र द्वारा डीएफ की वसूली जारी रखने की अनुमति इस आधार पर प्रदान की कि परियोजना की अंतिम लागत मूल आकलन राशि अर्थात ₹ 8975 करोड़ तक सीमित रहेगी (जैसा कि अक्टूबर, 2009 में मंत्रालय को बताया गया था) ।

1.3 इसके बाद, DIAL ने परियोजना लागत अनुमान प्रस्तुत किए। DIAL के अनुसार अंतिम परियोजना लागत को 8757 करोड़ रुपये की तुलना में 12857 करोड़ रुपये तक बढ़ा कर संशोधित किया गया था। तदनुसार 3620 करोड़ रुपये के कुल वित्त पोषण गैप को प्रदर्शित किया गया। DIAL द्वारा उनके आंतरिक लेखा परीक्षक मैसर्स ब्रह्मैय्या एंड कंपनी द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद और DIAL बोर्ड की मंजूरी लेने के बाद यह परियोजना लागत प्रस्तुत की गई थी।
1.4 प्राधिकरण द्वारा AAI और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) से परामर्श करते हुए लेखापरीक्षक की सिफारिशों, की जांच की गई थी। DIAL के मत भी प्राप्त किए गए थे।
1.5 एमओसीए, AAI और DIAL के मतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अपने अंतिम मंतव्य प्रस्तुत किया और इन मतों को 24.04.2011 को परामर्श पत्र संख्या 02 / 2011-12 के माध्यम से पणधारकों के समक्ष परामर्श के लिए रखा गया और पणधारकों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनकी टिप्पणियां / विचार जानने के लिए दिनांक 09.05.2011 को भी परामर्श बैठक आयोजित की गई । बैठक का कार्यवृत्त प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किर दिए गए।

1.6 इस माननीय सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अपीलीय-प्राधिकरणों के समक्ष डीएफ की वसूली को चुनौती दी। हालांकि, डीएफ, की वसूली को सुप्रीम कोर्ट के 26.04.2011 के आदेश और निर्णय के पैरा 23 (v) के अनुसार रोक दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह माना था कि अब से विकास शुल्क DIAL और एमआईएएल अर्थात् दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे के पट्टेदार द्वारा भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक

प्राधिकरण अधिनियम 2008 द्वारा यथा संशोधित एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम, 1 99 4 की धारा 22 ए के तहत विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित दरों पर वसूल गकिया जाए और इस राशि को एयरपोर्ट अथॉरिटी में जमा किया जाएगा और इनका उपयोग नियमों द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार 1994 के अधिनियम की धारा 22 ए की धारा (ए), (बी) या (सी) में वर्णित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

1.7 पणधारकों द्वारा दिए गए तथ्यों, परिस्थितियों और प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने और अभिलेखों पर ध्यान देने के पश्चात प्राधिकरण ने आदेश संख्या 28 / 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"25. AAI अधिनियम, 199 4 की धारा 22 ए के साथ पठित एईआरए अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली में DIAL द्वारा वसूल किए जाने वाले विकास शुल्क की दर 1230.27 करोड़ रुपये (1.12.2011 को एनपीवी के

अनुसार के गैप को पूरा करने के लिए ₹.200 / - विमान पत्तन पर आने वाले प्रत्येक घरेलू यात्री से ₹ 200/- और विमान से यात्रा करने वाले प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय यात्री से ₹ 1300 (वैधानिक वसूली, यदि कोई हो को छोड़ कर) निर्धारित की गई है। यह लेवी 01.12.2011 से लागू होंगी और वर्तमान में, मई, 2013 (चरण -1) तक 18 महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमान है। 31.03.2010 तक DIAL द्वारा किए गए खर्चों के संबंध में , डीएफ की लेवी के प्रयोजनों के लिए प्रोजेक्ट लागत में शामिल किया जाएगा बशर्ते कि उस समय तक वास्तव में व्यय की जा चुकी लागत के बराबर 1230.27 करोड़ रुपये (एनपीवी आधार पर) फंडिंग एकत्रित हो गई हो। लेवी के कार्यकाल को इन लागतों को कवर करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है जैसा कि ऊपर पैरा 23.2 में बताया गया है। प्राधिकरण AAI और DIAL द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मासिक संग्रहण की समीक्षा और ऐसी समीक्षा के आधार पर उपयुक्त लेगा।"
1.8 उक्त के बाद, ने डीएफ को पूरा करने के लिए प्राधिकरण 25.17.2012 के आदेश संख्या 12 / 2012-13 और आदेश संख्या सं 30/2012-13/ दिनांक 28.12.2012 जारी किया।

DIAL के संबंध में जारी डीएफ आदेश के अनुसार, प्राधिकरण को डीएफ की अवधि के दौरान डीएफ के बिलिंग, सीक्योरिटीआईजेशन, ट्रैफिक, अन्य वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करना अपेक्षित है और वह यथापेक्षित निर्णय ले सकता है।

1.9 प्राधिकरण ने और हवाई आड्डे के लिए टैरिफ आदेश में आईजीआई एअरपोर्ट दिल्ली के संबंध में अनुमेय परियोजना लागत, परियोजना को वित्तपोषण करने के साधन वित्तपोषण के अंतर की पहचान करली है। नीचे विवरण सारणी में दिए गए हैं:

तालिका: 1: दिल्ली टैरिफ आदेश नं. 3 /2012 के अनुसार अनुमेय परियोजना लागत, परियोजना को वित्तपोषण करने के साधन और वित्तपोषण का अंतर

विवरण	**करोड़ ₹ में**	
DIAL द्वारा आवेदनों में प्रस्तुत अंतिम परियोजना लागत		12,857.00
छोड़ी जाने वाली प्रस्तावित मद		
एप्रन	23.82	
रनवे 10-28	37.50	
रीइनफोर्समेंट के लिए वृद्धि	35.67	
अपफ्रंट शुल्क	150.00	
कुल फ्लोर क्षेत्र 82.52 वर्ग मी.	107.15	
छोड़ा गया कुल क्षेत्रफल		354.14
शेष (अनुमेय परियोजना लागत)		12,502.86
वित्त के साधन		
अपफ्रंट शुल्क को छोड़ कर ईक्विटी पूंजी और शेयर एप्लीकेशन राशि	2,300.00	

रुपी टर्म लोन	3,650.00	
विदेशी मुद्रा ऋण	1,616.00	
आंतरिक उपचय	50.00	
लौटाए जा सकने वाली प्रतिभूति राशि	1,471.51	
वित्त के कुल साधन		9,087.51
वित्तपोषण अंतर राशि		3,415.35

2. DIAL द्वारा DF प्रतिभूतिकरण:

2.1 उक्त वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिए, DIAL ने पहली नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष में डीएफ प्रतिभूतिकृत किया है और DIAL ने प्राप्त ऋण के वास्तविक ड्रॉडाउन का विवरण देते हुए लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र है । DIAL ने बताया कि इस ऋण के कुछ हिस्से का उपयोग बकाया डीएफ ऋण चुकाने के लिए किया गया है। तथापि आगे के समाधान और DIAL द्वारा प्रस्तुत किए गए अद्यतन प्रमाण पत्र के आधार पर, प्राधिकरण ने वास्तविक डीएफ ड्रा डाउन शेड्यूल बनाया जो नीचे दिया गया है:

तालिका 2: प्राधिकरण के आदेश नं. 40 / 2015-16 के द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए DF पर प्रतिभूतिकरण और व्ययः

भारतीय रुपए(करोड़)	वि.व.2008-09	वि.व.2009-10	वि.व.2010-11	वि.व.2011-12	वि.व.2012-13	वि.व.2013-14
DIAL द्वारा DF प्रतिभूतिकरण	250.00	1577.00	000	867.08	510.67	36.62
जोड़						3241.37

#Rs. निलंबन की अवधि के दौरान 12,30.27 करोड़ रुपए कमी (₹1827 करोड़ शेष राशि से ₹342.9 2 करोड़ DF ऋण शेष निलंबन की अवधि में AAI द्वारा जारी ₹ 20.1 9 करोड़ जमा 0.08 करोड़ रूपये निवल लघु जमा DF राशि का समाधान:

3. डीएफ राशि का समाधान (Reconciliation)

3.1 अनुमेय DF ₹3,415.35 करोड़ निर्धारित किया गया था । प्राधिकरण ने डीएफ आदेश में उल्लेख किया था कि "नए एटीसी ब्लॉक" के लिए अनुमानित पूंजी व्यय 350 करोड़ रुपये है और यह 3415.35 करोड़ रुपये के स्वीकृत DF का भाग है। DIAL ने अभी तक "नए एटीसी ब्लॉक" का उपयोग नहीं किया क्योंकि यह अभी निर्माणाधीन है। हालांकि, 13.12.2015 को AAI द्वारा अंतरित 20.1 9

करोड़ रुपये की राशि तथा 3204.75 करोड़ रुपए की प्रतिभूतिकृत राशि के अलावा स्वतंत्र DF ऑडिटर रिपोर्ट के माध्यम से एटीसी ब्लाक पर DIAL द्वारा रुपये 15 9 .82 करोड़ खर्च किए गए।

3.2 **एटीसी ब्लॉक और सीएनएस कार्य स्थिति**: एअरपोर्ट परियोजना के विस्तार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एटीसी टॉवर और संबंधित सुविधाओं को वहां से स्थानांतरित किया जाना है। NSC-ATM करार की शर्त 3.3.18 के अनुसार इसे स्थानांतरित करने की लागत DIAL द्वारा वहन की जाएगी। MoCA ने यह भी सूचित किया है कि NSC-ATM करार के संदर्भ में DIAL इस लागत को वहन करने के लिए बाध्य है और इसे पूरा करेगा। AAI / DIAL रिपोर्ट के मुताबिक, CNS उपकरण प्राप्त हो चुके हैं और ये वर्तमान में संस्थापनाधीन हैं। CNS उपकरण के साथ ATC टॉवर और तकनीकी ब्लॉक के जल्द ही पूंजीकृत होने की संभावना है और तदनुसार इन्हें आरएई से समायोजित किया जाएगा।

3.3 DIAL वित्तीय वर्ष 2012-12 के वित्तीय विवरणों में ने ₹ 162.12 करोड़ में व्यय किए और ₹188.38 करोड़ की शेष राशि को पूंजीकृत के रूप में रखा। प्राधिकरण ने दिल्ली टैरिफ ऑर्डर नं. 3/2012 के निर्णय संख्या 16 के द्वारा पहली नियंत्रण अवधि में वित्त वर्ष 2011-12 में कार्यालय एवं अनुरक्षण व्यय के रूप में ₹1827 करोड़ की राशि में से 350.50 करोड़ रुपये की व्यय प्रतिभूतिकृत डीएफ राशि को व्यवस्थित करने के लिए ब्याज की अनुमति प्रदान कर दी है।

3.4 DF पर एस्क्रो अकाउंट को खोलने के लिए भारत की नोडल एजेंसी भारतीय विमान प्राधिकरण है। इस तरह AAI से अनुरोध किया गया है कि वे DF लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी विशिष्ट टिप्पणी और सिफारिशें प्रस्तुत करे।

3.5 DF के प्रतिभूतिकरण और किए गए व्यय के संबंध में AAI और स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित विवरणों की पुष्टि की है।

तालिका 3: दिनांक 01.12.2015 के ईमेल की अनुसार डीएफ प्रतिभूतिकरण व्यय

भारतीय रुपए (करोड़)	वि.व. 2008-09	वि.व. 2009-10	वि.व. 2010-11	वि.व. 2011-12	वि.व. 2012-13	वि.व. 2013-14	वि.व. 2015-15	वि.व. 2015-16-1 सितंबर तक
DIAL द्वारा प्रतिभूतिकृत DF	250.00	1577.00	000	867.08	510.67	36.62	106.48	13.58
जोड़					3204.75			3361.43

4 जांच

4.1 DIAL के संबंध में जारी किए गए DF आदेश संख्या 28 / 2011-12 के अनुसार, प्राधिकरण को DF की उक्त अवधि के दौरान, डीएफ की बिलिंग, इसके प्रतिभूतिकरण, ट्रैफिक, वित्त के किसी अन्य साधन की समीक्षा करनी होगी और यथावश्यक निर्णय लेना अपेक्षित है। प्राधिकरण ने डीएफ की समीक्षा के आधार पर आदेश संख्या 12 / 2012-13 दिनांक 25.07.2012 और आदेश संख्या 30 / 2012-13 दिनांक 28.12.2012
जारी किए हैं।

'आईजीआईए पर DF की वसूली के लिए कट-ऑफ तिथि का आकलन करने और संग्रहित और प्राप्त DF की गणना करने के लिए समीक्षा की गई है।
तालिका 4 अनुमेय DF और DIAL द्वारा प्रयोग में लाया गया DF (₹ करोड़ में)

विवरण	**कुल स्वीकृत डीएफ (ए)**	**डीएफ ऋण लिया गया प्रतिभूतिकरण (बी)**	**AAI द्वार प्रदत्त डीएफ (ग)**	**दिसंबर 2015 तक डीएफ पर वास्तविक आधार पर अनुमेय व्यय**	**जोड़ ई = (ए+बी+सी+डी)**	**डीएफ के तहत अनुमेय शेष व्यय (ए-ई)**
डीएफ ऋण राशि	**3415.35 3204.75**		**20.19**	**159.82**	**3384.76**	**30.59**

4.2 प्राधिकरण का मानना है कि संग्रहण आधार पर DF का लेखाकरण अधिक उपयुक्त माना जाता है क्योंकि डीएफ वित्त का अंतिम उपाय है और इससे एकत्रित डीएफ राशि की मूलधन और इसके ब्याज के भुगतान का विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन होता है ।

4.3 संकलन के आधार पर आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अंतिम कट ऑफ डेट का निर्धारण किया

गया है। प्राधिकरण ने तारीख 27.01.2016 की ई-मेल द्वारा अग्रेषित स्वतंत्र डीएफ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तारीख 16.17.2010 को DF मूलधन बकाया ₹167.89 करोड़ है। यह भी उल्लेखनीय है कि रु 77 करोड़ की कुल बकाया (प्राप्य) राशि विभिन्न एयरलाइनों से वसूल की जाएगी।

तालिका 5 डीएफ ऋण वापसी को (रुपए करोड़ में दर्शाती है) चरणबद्ध रूप में दर्शाना

विवरण	कुल स्वीकृत डीएफ (ए)	दिसंबर 15 तक डीएफ मूलधन चुकाने के लिए हिसाब में ली गई राशि (बी)	31.12.2015 से DIAL को देय शेष डीएफ मूलधन (सी)	**डीएफ के तहत अनुमेय शेष व्यय (डी)**	DIAL को प्रदत्त किए जाने वाला कुल शेष (ई)	डीएफ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार एअरलाइन से वसूलीयोग्य (एफ)	यात्रियों से वसूल किए जाने वाली कुल डीएफ राशि जी=(एफ-ई)
ऋण की राशि	3441.35	3216.87	167.89	30.59	198.48	77.00	121.48*
ब्याज	350.50 प्रदत्त का.आ. यात्री अंशदान के माध्यम से 330.67 डीएफ						

* इसमें ₹ 30.59 करोड़ शामिल हैं जिनका भुगतान एटीसी / सीएनएस के लिए व्यय आधार पर किया जाएगा

4.4. 30 करोड़ रुपये के औसत मासिक संग्रह को ध्यान में रखते हुए शेष DF को 30.04.2016 तक एयरलाइनों से वसूलीयोग्य बकाया राशि को हिसाब में रखते हुए वसूल किया जाएगा। 4.5 प्राधिकरण ने AAI को खाते का समाधान करने और बंद करने के लिए कट-ऑफ की और DF की अधिक या कम वसूली का आकलन करने के लिए तारीख के छह महीने के बाद तक का समय देता है।

आदेश

5. रिकार्ड के रूप में उपलब्ध सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भारतीय एअरपोर्ट आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1)(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुपालन करते हुए आदेश जारी करना किः

(i) आईजीआई हवाई अड्डे पर दिनांक 28.12.2012 के संख्या 30/2012-13 द्वारा यथानुमोदित तारीख 30.04.2016 तक विमान से यात्रा करने वाले प्रति घरेलू यात्री से ₹100 और विमान से यात्रा करने वाले प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय यात्री से ₹ 600 की डीएफ वसूली की जाती रहेगी।

(ii) 30.04.2016 (भा.मा.स. 2400 बजे) तक यात्रियों द्वारा डीएफ का अंशदान एयरलाइन के घोषणा पत्र में वर्णित यत्रियों के अंशदान पर आधारित बिलों के आधार पर प्रदत्त किया जाएगा। जब तक एयरलाइनों से प्राप्तियोग्य बकाया राशि वसूल नहीं कर ली जाती तब तक DIAL / AAI देय राशि और लंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली के संबंध में संग्रहण के लिए कदम उठाएंगे।

(Iii) AAI को कट-ऑफ की तारीख के बाद छह महीने का समय दिया जाएगा ताकि वह खाते का समाधान करने और इन्हें बंद करने तथा DF की अधिक या कम वसूली का आकलन कर सके।

(Iv) AAI की रिपोर्टों के आधार पर, प्राधिकरण DF की अधिक या कम वसूली का समाधान निकालने और डीएफ खाते को बंद करने के लिए समीक्षा करेगा और निर्णय लेगा।

प्राधिकारी के आदेश से और इसके नाम से

ह/-
(सतीश सचदेवा)
अवर सचिव (वित्त एवं लेखा)

सेवा में,
न्यू दिल्ली इंटरनेश्नल एरपोर्ट लिमिटेड,
न्यू उड़ान भवन,
टर्मिनल-3, आईजीआई एअरपोर्ट,`
नई दिल्ली-110037
(द्वाराः श्री आई. प्रभाकर राव, चीफ ऐग्जीक्यूटिव ऑफीसर)

(नोट:- किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही मूल माना जाए)